फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(राज.

प्रार्थीया

1 श्रीमति पुष्पा पत्नि श्री अशोक कुमार जाति राजपुरोहीत नि. मनोरा व अन्य–03

बनाम

अप्रार्थी

1– सरकार जरिए, तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा,
राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 105/2024

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
10.12.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण की ओर श्री भुपेन्द्र राजपुरोहीत व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2024/1238 दिनांक 03–12–2024 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही के प्राप्त जवाब अनुसार मौजा मनोरा की जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण दर्ज नही हुआ। अतः खसरा नम्बर 743/402, 744/651 कुल रकबा 2.04 है0 में अचलाराम पुत्र वेला जाति पुरोहीत के नाम से भूमि दर्ज है। अचलाराम उर्फ अशोक कुमार की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण नामान्तरकरण करवाने से पूर्व गलत नाम अचलाराम को शुद्व कर सही नाम अशोक कुमार करवाना चाहते है, अतः अचलाराम से अशोक कुमार शुद्व किया जाना उचित होना बताया है । प्रकरण में वकील प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थीगण व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा मनोरा पटवार हल्का मनोरा के वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या खसरा नम्बर 743/402, 744/651 कुल रकबा 2.04 है0 में अचलाराम के स्थान पर सही नाम अशोक कुमार संशोधन कर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें । लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज०)	

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर सिरोही (राज०) सत्यमेव जयते